

19 अप्रैल को बस्तर में मतदान

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र में [लोकसभा](#) चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा।

मुख्य बंदि:

- **वामपंथी उग्रवाद** प्रभावति इस वधिनसभा क्षेत्र में करीब दो हज़ार मतदान केंद्र बनाये गए हैं। सुरक्षा कारणों से इनमें से 200 से अधिक मतदान केंद्रों को स्थानांतरति कर दधिया गया है।
- **नरिवाचन आयोग** ने नषिपक्ष और शांतपूरण तरीके से मतदान कराने के लयि पूरी तैयारी कर ली है।
- इस लोकसभा क्षेत्र के अंतरगत बीजापुर ज़िले में छह मतदान केंद्र हैं जहाँ लोग करीब बीस वर्ष बाद दोबारा मतदान कर सकेंगे।

वामपंथी उग्रवाद

- **वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE)**, जसि वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक वचिारधाराओं और समूहों को संदर्भति करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से **महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन** करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लयि **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या नजिी संपत्तिको** नशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 के पश्चमि बंगाल में **नक्सलबाड़ी (Naxalbari)** के उदय के साथ हुई।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI)



ECI

- ◊ एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- ◊ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- ◊ स्थापना- 25 जनवरी 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- ◊ 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं
- ◊ कार्यकाल- 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- ◊ सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र।
- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- ◊ चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- ◊ मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना
- ◊ चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- ◊ राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- ◊ राजनीतिक दलों के लिये आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी करना
- ◊ सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

चुनौतियाँ

- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल
- ◊ नियुक्तियों में कार्यकारी प्रभाव
- ◊ वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता
- ◊ स्वतंत्र स्टाफ की कमी



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/voting-to-be-held-on-19th-april-in-bastar>

